

**IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY  
ORDINARY ORIGINAL CIVIL JURISDICTION  
PIL WRIT PETITION NO. 904 OF 2005**

Exsanul Haque A. Nadvi

..Petitioner.

Versus

Union of India & Ors.

..Respondents.

None for the Petitioner.

Mr. B. A. Desai, [A.S.G.](#) For Respondent No.1 Union of India.

Mr.U. P. Uttangale for Respondent No.3.

Mr. V. Y. Sanglikar for Respondent No.5.

Ms. Priti Purandare, for Respondent No.6.

Mr. Jariwala for Respondent No.8.

**CORAM: DALVEER BHANDARI, C.J. &**

**S.J. VAZIFDAR, J.**

**DATE : 20TH JULY, 2005**

**P.C.**

No one appears for the Petitioner. No one was present even on the last date of hearing.

2. Looking to the importance of this matter, we appoint

Mr. Shiraj Rustumji as an Amicus curie in this matter.

3. The Registry is directed to send the entire set of papers during the course of the day. List this matter again on 29<sup>th</sup> July, 2005 for further directions.

**CHIEF JUSTICE**

**S.J. VAZIFDAR, J.**

# महामुम्बई

अंधेरी का लैंडमार्क लगभग 200 फूट ऊंचा गिल्बर्ट हिल अंधेरी (पश्चिम) में भवंस कॉलेज के पास स्थित है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि लगभग 650 लाख साल पूर्व ज्वालामुखी फटने से इस ढांचे का निर्माण हुआ था। गिल्बर्ट हिल एक दुर्लभ भूगर्भीय चमत्कार है। भू वैज्ञानिक और आईआईटी के पूर्व प्रो. वी. सुब्रमण्यन के अनुसार पूरे देश में कहीं भी गिल्बर्ट हिल की तरह स्तंभाकार चट्टान से निर्मित कोई पहाड़ी नहीं है। यह पहाड़ी पिछले लावा के बसाल्ट चट्टान से बनी है। पूरी दुनिया में इस तरह की चार-पांच जगहें ही हैं। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने गिल्बर्ट हिल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है।

गिल्बर्ट हिल

के ऊपर लगभग 400 साला पुराना गांवदेवी का मंदिर है। यहां एक दरगाह भी है। हिल के ऊपर से मुम्बई शहर का मनोरम दृश्य दिखाई पड़ता है। यहां शोले सहित कई हिट हिंदी फिल्मों के कुछ दृश्यों की शूटिंग भी हुई है। अब इस पहाड़ी के अस्तित्व पर क्वैरिंग और अवैध निर्माण से खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। हिल के आसपास अव्यवस्थित ढंग से इमारतों के निर्माण से हिल के ढह जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है। इस

बोलती दीवारें


एक बड़ा टुकड़ा 200 फूट ऊंचाई से टूटकर नीचे आ गिरा। भारी बरसात के कारण लोग घरों के भीतर थे अतः दुर्घटना में कोई घायल नहीं हुआ। पिछले पांच वर्षों से गिल्बर्ट हिल का अध्ययन कर रहे प्रो. सुब्रह्मण्यन का कहना है कि शिलाखंड का इस तरह टूट कर गिरना इस बात का प्रमाण है कि आसपास अव्यवस्थित ढंग से इमारतों के बनने से गिल्बर्ट हिल को भारी क्षति पहुंची है। पहाड़ी के ऊपर बने गांवदेवी मंदिर के एक ट्रस्टी एस. परदेशी को इस बात का दुख है कि बीएमसी, कलक्टर और अन्य अधिकारियों से वर्षों से गिल्बर्ट हिल को बिल्डर्स और अन्य अतिक्रमणकारियों से बचाने की अपील करते रहने के बावजूद किसी ने कोई खास ध्यान नहीं दिया। एहसान उल नदवी नामक एक व्यापारी ने मुम्बई उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की है। इस याचिका में कहा गया है कि 1990 के बाद गिल्बर्ट हिल के बेस पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हुआ है। सागर सिटी डेवलपर्स और कोर्डकोन-बिल्डर्स ने एसआरए से अनुमति प्राप्त कर गिल्बर्ट हिल के बेस पर निर्माण कार्य शुरू किया है। इस निर्माण कार्य से गिल्बर्ट हिल को खतरा उत्पन्न हो गया है। नदवी की याचिका पर मुम्बई उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने आईआईटी पवई के भू विज्ञान विभाग को निर्देश दिया है कि वह गिल्बर्ट हिल का सर्वेक्षण करे और इस बात की जांच करे कि क्या गिल्बर्ट हिल के इर्दगिर्द निर्माण कार्य से पहाड़ी को क्षति पहुंची है। आईआईटी को इस बात की भी जांच करनी है कि क्या हिल के आसपास निर्माण कार्य के दौरान बसाल्ट रॉक के किसी हिस्से को काटा या हटाया गया है। उच्च न्यायालय ने पिछले एक साल से हिल के आसपास निर्माण कार्यों पर भी रोक लगा दिया है। मुम्बईकरों के सामने चुनौती यह है कि क्या गिल्बर्ट हिल का अस्तित्व भी कांदिबली के ऐतिहासिक स्मारक पडान हिल की तरह मिट जायेगा और मुम्बई के निवासी मूक दर्शक बने रहेंगे।

सरोज त्रिपाठी

650 लाख

साल पुराने गिल्बर्ट हिल पर

खतरे के बादल



ANAND RECREATION CLUB